



#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1904]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 17, 2013/श्रावण 26, 1935

No. 1904]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 17, 2013/SRAVANA 26, 1935

## गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2013

का. आ. 2478(अ). — राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में यह निदेश देते हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं द्वीव, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी के प्रशासक (चाहे उप राज्यपाल के रूप में जाने जाते हों या प्रशासक के रूप में) राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन रहते हुए और अगले आदेश होने तक, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के अधीन, अपने संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन भी करेंगे।

[फा. सं. यू-11030/1/2007-यूटीएल]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2013

S. O. 2478(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators of Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep and Puducherry (whether known as Lieutenant Governor or Administrator) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006) within their respective Union Territories.

[F. No. U-11030/1/2007- UTL]

K. K. PATHAK, Jt. Secy.